उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक/नियामक संस्था)

पत्रांकः 464 / A-11 (28-1) दिनांकः 16 – 03 – 2017

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा ''जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014'' के प्राविधानों के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को ''जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014'' के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 07, 24, 53 तथा जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप–1 व विनियम, 2014 के प्ररूप–'क' में रू0 10000/– फीस (सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजा जाना अनिवार्य है। यह सूचना उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेलः upstatebiodiversityboard@gmail.com के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता (SB) संख्या–6193000100001887 तथा IFSC Code-PUNB0619300 में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है, जिसका विवरण ईमेल में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 53 तथा विनियम, 2014 के संख्या 2, 3, 4 आदि के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबंध के माध्यम से लाभांश उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा पारित आदेश के क्रम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य भी दाखिल है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।

''जैव संसाधन'' (Biological Resource) : ''जैव संसाधनों'' से पौधे, जीव–जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवांशिक पदार्थ नहीं है ;

"biological resources" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

Our Vision: Conservation beyond Imagination

पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010

फोन नं0: 0522. 2306491, 4006746, फैक्स नं0: 0522.4006746,

E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com, Website: http://www.upsbdb.org

Hemant